रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ओ.आर.-अ.-09042024-253624 CG-OR-E-09042024-253624

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1570]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2024/चैत्र 20, 1946
No. 1570]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2024/CHAITRA 20, 1946

रेल मंत्रालय

पूर्व तट रेलवे (निर्माण)

अधिसूचना

भ्वनेश्वर, 9 अप्रैल, 2024

का.आ. 1653(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में, उक्त सारणी के कॉलम (2) में, यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी विशेष रेल परियोजना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	एक विशेष रेल परियोजना के रूप में – गंगावरम पोर्ट – विशाखापट्टनम इस्पात संयत्र के	आंध्रप्रदेश
	बीच टाई लाइन सहित वडलापुडि – गेट जंकशन केबिन के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन	
	(12.04 कि.मी.)।	

[फा. सं. सीई/कॉन/जेडीबी ऐट वीएसकेपी/वीडीपीडी-जीजेसी तीसरी और चौथी लाइन/एसआरपी] अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-I)

2476 GI/2024 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

EAST COAST RAILWAY (CONSTRUCTION)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 9th April, 2024

S.O. 1653(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section – 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

TABLE SPECIAL RAILWAY PROJECT

S.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	3rd & 4th Line in between Vadlapudi-Gate Jn. Cabin including Tie Line between Gangavaram Port-Visakhapatnam Steel Plant (12.04 Km) "As a Special Railway Project"	Andhra Pradesh

[F. No. CE/Con/JDB at VSKP/VDPD-GJC 3rd & 4th Line/SRP]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-I)